संविदा

अनुबंध कमांक.....
दिनांक.....
अनुबंध की बैधता तिथि.....

आज दिनांक.....दिन.....को यह अनुबंध पत्र पक्ष कमांक–01 छत्तीसगढ़ राज्य सह0 विप0 संघ मर्यादित, की ओर से जिला विपणन अधिकारी जिला.....तथा पक्ष कमांक–02 मेसर्स..... .....मिल पंजीयन कमांक..... के स्वामी/भागीदार श्री/सुश्री..... पिता/पति.....के द्वारा छ.ग.शासन की कस्टम मिलिंग निर्देश छ.ग.शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय रायपुर का **पत्र कमांक एफ 4–18/खाद्य/2012/29/4784, रायपुर, दिनांक 26.10.2012** के अंतर्गत वर्ष 2012–13 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग बाबत् किया जा रहा है। इस अनुबंध के निबंधन तथा शर्तें निम्नानुसार होगी :–

1. यह कि पक्ष कमांक 01 द्वारा राजस्व जिले के कलेक्टर द्वारा जारी अनुमति कमांक.....दिनांक .....के आधार पर खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग कराकर मिलिंग से प्राप्त चांवल की डिलीवरी भारतीय खाद्य निगम/छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल–सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड में देगा तथा पक्ष कमांक 02 मेसर्स..... .....शहर/ग्राम.....खसरा नं. .....तहसील..... .....जिला.....में स्थित अपने स्वामित्व अथवा लीज पर ली गई मिल (लीज की स्थिति में लीज डीड संलग्न करें) जिसकी अरवा मिलिंग क्षमता ....मी.टन प्रति माह/उसना मिलिंग क्षमता .....मी.टन प्रति माह है, जो अनुबंध तिथि में चालु हालत में है, में पक्ष कमांक 01 के द्वारा मिलिंग हेतु दी जाने वाली धान की मिलिंग कर चावल का विहित नीति/नियमो/निर्देशो के अनुसार परिदान करेगा।

2. अमानत राशि :–

पक्ष कमांक 02 को धान मिलिंग अनुबंध निष्पादित करने के पूर्व 20,000/–रुपये (बीस हजार रुपये) अमानत राशि का छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक का एफ.डी.आर./बैंक ड्राफ्ट/नगद छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., के नाम से जमा करना होगा। अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

3–1 धान की मात्रा :–

पक्ष कमांक 02 कलेक्टर द्वारा जारी अनुमति कमांक..... दिनांक.....के आधार पर निम्नानुसार धान की मात्रा की अरवा/उसना कस्टम मिलिंग करेगा :–

क.	जिले का नाम	धान की मात्रा (क्विंटल में)				कस्टम मिलिंग का प्रकार अरवा/उसना	अनुबंध अवधि
		कामन (मोटा)	ग्रेड–ए (पतला)	सरना	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8
	योग:–						

3.2 कण्डिका क. 3–1 में विहित उपार्जन केन्द्र/संग्रहण केंद्र से धान उठाने हेतु कम्प्यूटर के माध्यम से डिलीवरी आर्डर (डी.ओ.) पक्ष कमांक–01 की ओर से संबंधित राजस्व जिले के जिला विपणन अधिकारी के द्वारा जारी किया जावेगा, जो अहस्तांतरणीय होगा। विभागीय साफ्टवेयर अनुसार उपार्जन केन्द्र/संग्रहण केन्द्र द्वारा डी.ओ. का सत्यापन किए जाने के उपरांत जारी किये गये डिलीवरी आर्डर के अनुसार ही पक्ष कमांक –02 को संबंधित उपार्जन केन्द्र/संग्रहण केंद्र से डिलीवरी आर्डर जारी होने की तिथि से सात दिवस के अन्दर डी.ओ. में उल्लेखित सम्पूर्ण धान का परिदान प्राप्त करने की बाध्यता रहेगी।

3.3 पक्ष कमांक–1 कस्टम मिलिंग हेतु निम्नानुसार धान का परिदान पक्ष कमांक–2 को देगा जो पक्ष कमांक–2 को मान्य होगा।

(i) पक्ष कमांक–02 मिलिंग हेतु धान प्राप्त करने के लिये अनुमति में उल्लेखित मिल में मिलिंग किया हुआ चांवल अग्रिम में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार (सी.एम.आर.) भारतीय खाद्य निगम/ छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल–सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड में विपणन संघ के पक्ष में जमा कराकर स्वीकृति पत्रक (एक्सेप्टेंस नोट) प्रस्तुत करता है तो जमा चांवल की मात्रा के विहित अनुपात मे धान मिलर को प्रदाय किया जा सकेगा। किसी भी मिल से अगला अनुबंध करने से पूर्व पिछले अनुबंध की मिलिंग पूरी करना अनिवार्य है। मिल से अगला अनुबंध करते समय पिछले अनुबंध के लिए धान मिलिंग के लिए उपयोग की गई बिजली के बिल की छायप्रति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। एक्सेप्टेंस नोट का सत्यापन विभागीय सॉफ्टवेयर द्वारा इंटरनेट पर किये जाने के उपरांत धान का परिदान किया जायेगा। पक्ष क्र. 02 द्वारा भा.खा.नि./छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेषन लि0 ने धान उठाव के विरूद्ध सी.एम.आर. चांवल जमा किया जाता है तो संबंधित संस्था के नेट में परिदान किया गया चांवल दर्षित के उपरांत भी धान का डिलेवरी आर्डर जारी नहीं किया जायेगा। जब तक नेट में दर्षित चांवल का स्वीकृति पत्रक/एक्सेप्टेंस नोट पक्ष क्र. 01 को भौतिक रूप से प्राप्त नहीं हो जाता है। अर्थात् जमा चांवल का नेट में दर्षित होने के साथ ही भौतिक रूप से पक्ष क्र. 01 को एक्सेप्टेंस नोट प्राप्त होना अनिवार्य है।

अथवा

(ii) पक्ष कमांक–02 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी अधिसूचित बैंक की बैंक गारंटी/एफ.डी.आर एवं कैश गारंटी (कस्टम मिलिंग के अन्तगर्त भुगतान योग्य राशि के एवज में) के रूप में प्रतिभूति पक्ष कमांक–01 को प्रस्तुत करने पर पक्ष कमांक–1 के द्वारा संबंधित बैंक से इसकी पुष्टि उपरांत कस्टम मिलिंग हेतु धान प्रदाय किया जा सकेगा। धान की कीमत का निर्धारण मात्र धान के समर्थन मूल्य, बोनस (यदि केंद्र अथवा राज्य शासन द्वारा दिया जाता है तो) बोरे के मूल्य के अतिरिक्त धान उपार्जन पर लगने वाले मण्डी शुल्क, निराश्रित शुल्क एवं कामर्शियल टैक्स को जोड़कर किया जावे, जो पक्ष कमांक–02 को मान्य होगा। बैंक गारंटी की वैधता की अवधि निम्नानुसार निर्धारित होगीः–

क.	कस्टम मिलिंग अनुबंध की तिथि	बैंक गारंटी की वैधता अवधि
1.	**01.11.12 से 31.12.2012 तक के लिए**	**31.03.2013 तक**
2.	**01.01.13 से 31.03.2013 तक के लिए**	**30.06.2013 तक**
3.	**31.03.2013 के पश्चात्**	**31.10.2013 तक**

यदि किसी कारणवश बैंक गारंटी की वैधता तिथि के न्यूनतम 10 दिवस पूर्व तक पूरा चावल जमा नहीं किया जाता तो पक्ष कमांक–02 को बैंक गारंटी की बैधता तिथि की समाप्ति के न्यूनतम 10 दिवस पूर्व पुनः आगामी तीन माह के लिए बैंक गारंटी की वैधता तिथि का नवीनीकरण कराना होगा, अन्यथा पक्ष क. 01 को संबंधित बैंक गारंटी को भुगतान हेतु बैंक को प्रस्तुत कर राशि आहरित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

3.4 पक्ष कमांक 01 के द्वारा पक्ष कमांक–02 के लिए जारी किए गए डिलीवरी आर्डर (डी.ओ.) के अनुसार उपार्जन केन्द्र/संग्रहण केंद्र से पक्ष कमांक–01 के प्रतिनिधि द्वारा धान का परिदान पक्ष कमांक–02 को दिया जावेगा।

3.5 पक्ष कमांक–01 के संग्रहण केन्द्रों से धान के बोरों को 10 प्रतिशत् के आधार पर तौलकर पक्ष कमांक–01 द्वारा पक्ष कमांक–02 को दिया जावेगा। पक्ष कमांक–02, 10 प्रतिशत् से अधिक तौलकर धान की डिलीवरी लेना चाहता है तो अधिक तौल का खर्च पक्ष कमांक–02 को स्वयं वहन करना होगा, जहॉ पर तौल की जो सुविधा/बिम स्केल/धरमकांटा उपलब्ध होगी, से धान तौलकर पक्ष कमांक–02 को प्रदाय किया जावेगा। धरमकांटे में तौल का व्यय पक्ष कमांक–01 द्वारा वहन किया जावेगा। इसके पश्चात कोई भी कमी पक्ष कमांक–01 को मान्य नहीं होगी।

3.6 पक्ष कमांक–01 द्वारा पक्ष कमांक 02 को संग्रहण केन्द्रों से धान पक्ष कमांक–02 के अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष तौल करके देगा तथा तौल की मात्रा पक्ष कमांक–02 को मान्य होगा।

3.7 पक्ष कमांक–02 इस बात के लिए वचनबद्ध है कि अनुबंध अवधि के अन्दर प्राप्त धान की मिलिंग कर चावल की डिलीवरी विहित समयावधि में भारतीय खाद्य निगम/छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल–सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड के ..... सी.एम.आर. उपार्जन केन्द्र को देगा।

3.8 पक्ष कमांक–01 द्वारा पक्ष कमांक–02 को अनुबंधित मात्रा से कम धान उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में पक्ष कमांक–02 कोई क्लेम नहीं करेगा तथा पक्ष कमांक–02 के उपर शेष धान की मात्रा पर कोई अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं होगा।

3.9 पक्ष कमांक–01 द्वारा कस्टम मिलिंग के तहत पक्ष कमांक–02 को धान के उठाव हेतु पूरा स्टेक हस्तांतरित किया जावेगा। किसी भी स्थिति में स्टेक तोड़कर अथवा बोरो की छंटाई कर धान का परिदान नहीं किया जावेगा।

4. धान एवं चांवल का परिवहन :–

4.1 समिति, संग्रहण केन्द्र से पक्ष क्र. 02 द्वारा धान उठाव करने एवं नागरिक आपूर्ति निगम में चांवल जमा करने पर वास्तविक दूरी के आधार पर धान एवं चांवल के परिवहन व्यय का भुगतान किया जावेगा। परिवहन व्यय का भुगतान जिले में निविदा के माध्यम से धान के परिवहन हेतु निर्धारित दर के आधार पर किया जावेगा।

4.2 समिति स्तर से मिलर्स द्वारा धान उठाव पर लोडिंग–अनलोडिंग का 4 रूपये प्रति क्विंटल की कटौती नहीं की जायेगी। संग्रहण केन्द्र से धान उठाव करने पर लोडिंग–अनलोडिंग हेतु 4 रूपये प्रति क्विंटल की राशि परिवहन में से कटौती की जावेगी।

4.3 कस्टम मिलिंग चांवल के परिवहन देयकों में 4 रूपये प्रति क्विंटल की कटौती लोडिंग– अनलोडिंग व्यय के रूप में किया जावेगा।

4.4 भारतीय खाद्य निगम में सी.एम.आर. जमा करने पर परिवहन व्यय का भुगतान राज्य शासन के निर्देशानुसार किया जावेगा।

4.5 धान एवं चांवल के परिवहन भुगतान मिल के निकटस्थ संबंद्ध संग्रहण केन्द्र हेतु स्वीकृत दर पर किया जावेगा।

4.6 कस्टम मिलिंग हेतु संग्रहण केन्द्र/उपार्जन केन्द्र से पक्ष कमांक–02 के मिल प्वाईंट तक धान परिवहन हेतु अधिकतम 100 कि.मीटर की दूरी का ही परिवहन व्यय पक्ष कमांक–01 द्वारा दिया जावेगा।

5. मिलिंग चार्ज :–

5.1 पक्ष कमांक–02 द्वारा चावल का अभिस्वीकृति पत्र 2 प्रतियों में पक्ष कमांक–01 के पास जमा किया जावेगा। पक्ष कमांक–01 द्वारा अरवा मिलिंग हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर 10/– (दस रूपये) प्रति क्विटल के अतिरिक्त प्रोत्साहन राषि **30.00 (तीस रूपयें)** प्रति क्विंटल धान के मान से तथा उसना मिलिंग हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर 20/– (बीस रूपये) प्रति क्विटल पर मिलिंग चार्ज का भुगतान पक्ष कमांक–02 को किया जावेगा। अग्रिम सी.एम. आर. चावल जमा करने की दशा में समानुपातिक धान का उठाव करने पर ही मिलिंग चार्ज का भुगतान किया जावेगा। बैंक गारंटी (कण्डिका 3–3) के एवज में धान उठाने पर समानुपातिक चावल जमा करने पर ही मिलिंग चार्ज का भुगतान किया जाएगा।

5.2 मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग चार्ज एवं परिवहन व्यय के बिल प्रस्तुत किये जाने पर अनुबंधित मात्रा का 25 प्रतिशत के मान से अनुबंधित मात्रा का 4 किस्तों में भुगतान किया जावेगा।

6. झड़ती एवं मापदण्ड :–

6.1 **झड़ती :–**

मिलर को धान की अरवा मिलिंग करने की दशा में सभी किस्मों की धान के लिये 67 प्रतिशत झड़ती के अनुसार से धान की मिलिंग करनी होगी तथा उसना मिलिंग करने की दशा में सभी किस्म की धान के लिये 68 प्रतिशत झड़ती के अनुसार धान की मिलिंग करनी होगी। भारत सरकार द्वारा यदि झड़ती की मात्रा में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह उभय पक्ष को मान्य होगा।

6.2 **चांवल की गुणवत्ता के मापदण्ड :–**

पक्ष कमांक–02 द्वारा पक्ष कमांक–01 से प्राप्त धान के एवज में मिलिंग कर चावल भारत सरकार द्वारा चावल की गुणवत्ता के संबंध में नियत व तत्समय प्रचलित मापदण्ड अनुसार ही जमा किया जावेगा।

7. जमा करने योग्य चांवल :–

7.1 पक्ष कमांक–02 अरवा 67 प्रतिशत् एवं उसना 68 प्रतिशत् के अनुपात में किस्मवार उठाई गई धान की मात्रा का मिलिंग से प्राप्त चावल उसी किस्म का निम्नानुसार चांवल भारत सरकार के निर्धारित मापदण्ड अनुसार भारतीय खाद्य निगम अथवा छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड में जमा कर, अभिस्वीकृति पत्र पक्ष कमांक–01 को प्रस्तुत करेगा।

(मात्रा टन में)

क.	विवरण	चावल की किस्म (**प्रति लॉट 270 क्विंटल**)					
		कामन		ग्रेड–ए		योग	
		लॉटस की संख्या	मात्रा	लॉटस की संख्या	मात्रा	लॉटस की संख्या	मात्रा
1.	अरवा						
2.	उसना						
	योगः–						

7.2 **लाट कमांकः–**

पक्ष कमांक–02 द्वारा यथासम्भव **270 क्विंटल** प्रति लॉट के मान से चावल जमा किया जावेगा। लॉट का आबंटन जिला विपणन अधिकारी द्वारा किया जावेगा ।

7.3 पक्ष कमांक–02 पक्ष कमांक–01 द्वारा दिये गये बारदानों में 50 किलोग्राम नेट की भरती में चावल भरेगा तथा भारतीय खाद्य निगम/छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा आवश्यक निर्धारित स्टेन्सिल के छापे बोरों पर लगायेगा तथा बोरों की सिलाई, स्टीचिंग मशीन से करेगा। पक्ष कमांक–02 को विपणन संघ के बारदानों में धान प्रदाय किया जावेगा। मिलरों के द्वारा धान से खाली होने वाले खरीफ वर्ष 2012–13 के बारदानों में कस्टम मिलिंग का चावल भारतीय खाद्य निगम/छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड के निर्धारित चावल उपार्जन केन्द्रों में दिया जावेगा।

7.4 पक्ष कमांक–02 को प्रदाय किस्मवार धान को चावल में परिवर्तित करने के बाद इस किस्म के अनुसार चावल की डिलीवरी पक्ष कमांक–02 द्वारा पक्ष कमांक–01 के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय खाद्य निगम/छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड के निर्धारित डिपो/गोदाम पर भारत सरकार

द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं भरती अनुसार जमा कर उनके सक्षम अधिकारी से अभिस्वीकृति पत्र प्राप्त करेगा। चावल के परिदान से संबंधित कोई भी व्यय पक्ष कमांक–1 द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।

7.5 खरीफ वर्ष 2012–13 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार प्रदाय धान की कस्टम मिलिंग कर चावल तैयार करने के लिये पक्ष कमांक–02 वचनबद्ध है। यदि निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार चावल न होने के कारण भारतीय खाद्य निगम/छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड को डिलीवरी देते समय उनके द्वारा किसी प्रकार की कटौती की जाती है तब उसकी वसूली पक्ष कमांक–02 से पक्ष कमांक–01 द्वारा की जावेगी। यदि कोई लाट भारतीय खाद्य निगम/छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड के प्रयोगशाला में बी.आर.एल. (बियान्ड दी रिजेक्शन लिमिट) हो जाता है तो उस लाट को पक्ष कमांक–02 अपने स्वयं के खर्चे पर बदलकर भारतीय खाद्य निगम/छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड को देगा।

7.6 पक्ष कमांक–02 मिलिंग हेतु प्राप्त की गई किस्मवार धान को कस्टम मिलिंग कर चावल में परिवर्तित करके जब तक भारतीय खाद्य निगम/छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड के गोदाम में पक्ष क्र. 01 के प्रतिनिधि के रूप में डिलीवरी नहीं देता है, तब तक प्राप्त धान और निर्मित चावल की सुरक्षा के लिये पूर्णतः उत्तरदायी रहेगा। यदि इस अवधि में स्कंध को किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचती है तो उसकी प्रतिपूर्ति के लिये पक्ष कमांक–02 द्वारा दी गई सिक्यूरटी/अमानत राशि/एफ.डी.आर/बैंक गारंटी से वसूल करने के लिये पक्ष कमांक–01 अधिकृत है।

7.7 यदि पक्ष कमांक–02 अनुबंध की सीमा के अन्तर्गत ग्रेड–ए चावल जमा कराता है एवं उक्त चावल के एवज में पक्ष कमांक–01 के पास परिदान हेतु ग्रेड–ए किस्म का धान शेष नहीं रहता तथा मोटे किस्म का धान प्रदाय किया जाता है, ऐसी स्थिति में पक्ष कमांक–01 द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित लेव्ही चावल दरों के अनुसार अन्तर की राशि पक्ष कमांक–02 को भुगतान की जावेगी। किसी भी स्थिति में मोटे किस्म के चावल के एवज में ग्रेड–ए किस्म के धान का परिदान नहीं किया जावेगा।

7.8 धान की मिलिंग से प्राप्त सहउत्पादो का स्वामित्व पक्ष कमांक–02 का होगा।

7.9 कस्टम मिलर द्वारा कामन अथवा ग्रेड ए में से जिस किस्म के धान का उठाव किया जावेगा उसी किस्म का चावल जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

8. बारदाना :–

पक्ष कमांक–02 द्वारा धान के साथ प्राप्त नये जूट बारदाना में ही सी.एम.आर. का परिदान भारतीय खाद्य निगम अथवा छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड को किया जावेगा। पक्ष कमांक–01 द्वारा सी.एम.आर. हेतु पृथक से कोई बारदाने पक्ष कमांक–02 को उपलब्ध नहीं कराया जावेगा। पक्ष कमांक–01 द्वारा पक्ष कमांक–02 को धान के साथ प्रदाय बारदाने में से शेष बारदाने वापस नहीं लिया जावेगा और मिलर्स को देय राशि में से बारदाने की किस्म अनुसार निम्नानुसार कटौती की जावेगी :–

एक भरती जूट बारदाना हेतु	14 रूपये प्रति नग
दो भरती जूट बारदाना हेतु	7 रूपये प्रति नग
एच.डी.पी.ई. बारदाने हेतु	1 रूपये प्रति नग
पी.डी.एस. बारदाने हेतु	2 रूपये प्रति नग

9. दण्ड :–

9.1 **अनुबंध अवधि में वृद्धिः–**

पक्ष कमांक–02 द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुबंध अवधि समाप्त होने पर राजस्व जिले के कलेक्टर द्वारा एक बार में एक माह के आधार पर अधिकतम चार बार में चार माह की समयावधि में वृद्वि की जा सकेगी। चार माह से अधिक समयावृद्धि कलेक्टर द्वारा पेनाल्टी सहित की जावेगी। कलेक्टर द्वारा समयावृद्धि खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए ही की जा सकेगी। पक्ष कमांक–02 द्वारा अनुबंध समाप्ति के एक सप्ताह पूर्व कलेक्टर को अनुबंध अवधि में वृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि अनुबंध समाप्ति की तिथि तक कलेक्टर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो यह मान लिया जावेगा कि कलेक्टर द्वारा आवेदित तिथि में वृद्धि मान्य की है।

9.2 पक्ष कमांक–2 द्वारा धान मिलिंग उपरान्त प्राप्त किए गए चांवल की डिलीवरी भारतीय खाद्य निगम/छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड को दिया जाकर अभिस्वीकृति पत्र प्राप्त करना होगा तथा अधिकतम तीन दिवस में पक्ष कमांक–01 के संबंधित जिला विपणन अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। पक्ष कमांक–02 द्वारा पक्ष कमांक–01 के समक्ष एक्सेप्टेंस नोट प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी दिन विभागीय साफ्टवेयर से सत्यापन उपरांत धान उठाव हेतु डिलीवरी आर्डर पक्ष कमांक–01 द्वारा जारी किया जावेगा।

9.3 अनुबंध अवधि में समस्त प्रकार की वृद्धियॉ तथा छूट सम्मिलित करने के उपरान्त भी यदि पक्ष कमांक–02 द्वारा निर्धारित अवधि में अनुबंधित मात्रा की पूर्ण मिलिंग नहीं की जाती है तो अनुबंधित मात्रा के विरुद्ध उठाव हेतु शेष धान की मात्रा पर निम्नानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा :–

कमांक	विलम्ब अवधि	दण्ड की दर (प्रति क्विंटल)
01	0 से 15 दिन	5.00 रुपये
02	16 से 30 दिन	10.00 रुपये
03	31 से 45 दिन	15.00 रुपये

उपरोक्त अवधि के पश्चात् 01.00 रुपये प्रति क्विंटल प्रति दिन के मान से दण्ड अधिरोपित किया जावेगा।

अनुबंध के अधीन उठाये गये धान के विरुद्ध प्राप्त होने वाले चावल में से जमा किए जाने हेतु शेष चावल की मात्रा पर भारत शासन द्वारा निर्धारित सी.एम.आर. दरों के आधार पर निम्नानुसार ब्याज प्रभारित किया जावेगा :–

कमांक	विलम्ब अवधि	ब्याज की दर (प्रति वर्ष)
01	0 से 30 दिन	10 प्रतिशत्
02	31 से अधिक	12 प्रतिशत्

9.4 अनुबंध के अधीन जमा किये गये सी.एम.आर. के स्वीकृत पत्रक/एक्सेप्टेन्स नोट पक्ष कमांक–02 को सी.एम.आर. जमा करने के 72 घंटे के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। यदि समयावधि में एक्सेप्टेन्स नोट जमा नहीं कराया जाता है तो पक्ष कमांक–01 द्वारा 50 पैसे प्रतिदिन प्रति क्वि. से अर्थदण्ड शासित किया जावेगा।

9.5 पक्ष कमांक–02 के लिए बंधनकारी होगा कि वह अनुबंध समाप्ति की तिथि के तीस दिवस के भीतर कण्डिका–9–3 में निर्धारित दण्ड की राशि पक्ष कमांक–01 के पास जमा कर दे अन्यथा पक्ष कमांक–01 को यह अधिकार होगा कि पक्ष कमांक–02 को देय राशि में से अर्थदण्ड राशि को समायोजित कर लें तथा पक्ष कमांक–02 द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी/डी.डी./एफ.डी.आर./टी.डी.आर. आदि से वसूली योग्य राशि के लिए बैंक को प्रस्तुत कर दें ।

9.6 भारतीय खाद्य निगम के निर्धारित डिपो/विकेन्द्रीकृत योजना के अन्तर्गत छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड के निर्धारित प्रदाय केन्द्र (डिपो) में चावल स्वीकार करने हेतु स्थान की व्यवस्था नहीं हो पाने की दशा में या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण अनुबधित मात्रा मिलिंग हेतु शेष रह जाती है अथवा पक्ष कमांक–01 के पास अनुबंधित/इकाई का जिले में धान समाप्त हो जाता है या पक्ष कमांक–01 के पास धान मिलिंग हेतु शेष नहीं रह पाने की दशा में अर्थदण्ड शासित नहीं की जावेगी।

9.7 पक्ष कमांक–02 के लिए पक्ष कमांक–01 के उपार्जन केन्द्रों/संग्रहण केन्द्रों से धान का परिदान डिलीवरी आर्डर जारी होने के सात दिवस के भीतर प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

9.8 पक्ष कमांक–02 उपर उल्लेखित कंडिकाओं में से किसी का भी पालन करने में असमर्थ रहता है और परिणामस्वरूप पक्ष कमांक–01 को किसी प्रकार की हानि होती है तो पक्ष कमांक–01 को अधिकार होगा कि वह अनुबंध को निरस्त कर दे तथा पक्ष कमांक–02 से वसूली योग्य राशि की वसूली नियमानुसार कर ले, इसके उपरांत भी राशि शेष रहती है तो पक्ष कमांक–02 प्रतिपूर्ति करने को बाध्य होगा।

9.9 पक्ष कमांक–02 उपर बतायी गई कंडिकाओं के अनुसार धान की मिलिंग निर्धारित अवधि में करने में तथा निर्मित चावल भारतीय खाद्य निगम/छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड में जमा कराने में असमर्थ रहता है तो पक्ष कमांक–02 की अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। अनुबंधित मात्रा की शेष धान की मिलिंग अन्य मिलर से पक्ष कमांक–01 द्वारा कराई जावेगी और इसमें जो भी हानि होगी उसकी वसूली पक्ष कमांक–01, पक्ष कमांक–02 से करेगा। परंतु इस अनुबंध के तहत पक्ष कमांक–02 को कोई हानि होती है तो वह पक्ष कमांक–01 द्वारा देय नहीं होगा।

10. लेखा एवं भुगतान :–

10.1 **लेखा :–**

पक्ष कमांक–02 द्वारा पक्ष कमांक–01 के साथ सम्पादित अनुबंध के अनुकम में सम्पादित संव्यवहार से संबंधित पृथक लेखा अपने प्रतिष्ठान में संधारित किया जायेगा। पक्ष कमांक–02 द्वारा पक्ष कमांक–01 से किए गए अनुबंध अनुसार धान,चावल व बारदाने की पृथक पंजी संधारित की जावेगी, जिसमें तिथिवार प्रविष्टी पक्ष कमांक–02 द्वारा नियमित रुप से की जावेगी। पक्ष कमांक–01 द्वारा आवश्यकतानुसार मांग करने पर पक्ष कमांक–02 द्वारा धान, चावल व बारदाने के स्कंध पंजी व आवश्यक दस्तावेज 7 दिवस के भीतर पक्ष कमांक–01 को प्रस्तुत करना होगा।

10.2 **भुगतानः–**

पक्ष कमांक–02 द्वारा कंण्डिका 10–1 एवं 2 में वर्णित मासिक जानकारी के साथ मिलिंग व परिवहन देयक निर्धारित प्रारुप में संलग्न कर प्रस्तुत किए जायेंगे। पक्ष क्र. 02 उपार्जन केन्द्र/संग्रहण केन्द्र से धान का उठाव करता है तो उपार्जन केन्द्र/संग्रहण केन्द्र प्रभारी द्वारा उसे डिलेवरी चालान जारी किया जाता है। अतः कस्टम मिलिंग के परिवहन बिल के साथ धान का उठाव के प्रत्येक ट्रक का डिलेवरी चालान संलग्न किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में पक्ष क्र. 02 को परिवहन भुगतान नहीं किया जावेगा। डिलेवरी चालान में जारी करने वाला प्रभारी के हस्ताक्षर के साथ ही धान प्राप्ति में पक्ष क्र. 02 को स्वयं का अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि व संबंधित ट्रक के ड्राइवर का हस्ताक्षर होना अनिवार्य रहेगा। हस्ताक्षर के अभाव में डिलेवरी चालान की परिपूर्णता नहीं मानी जावेगी।

11. अन्य :–

यह कि पक्ष कमांक–01 अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी किसी भी समय पक्ष कमांक–02 के मिलिंग रजिस्टर चावल के स्कंध का निरीक्षण कर सकेंगे। ऐसे निरीक्षण के लिये पक्ष कमांक–02 समस्त सुविधाएं उपलब्ध करायेगा और निरीक्षण करने में सहयोग करेगा। पक्ष कमांक–01, पक्ष कमांक 02 द्वारा धान उपार्जन केन्द्रों से प्राप्त डिलीवरी के हिसाब का भी निरीक्षण कभी भी कर सकेगा।

11.2 अनुबंधित मिलर के पास यदि अनुबंध समाप्त होने के पश्चात् भी कस्टम मिलिंग हेतु धान शेष रखी है तो उसके निराकरण बाबत् अनुबंध की समस्त शर्तें फिर भी लागू रहेगी।

11.3 पक्ष कमांक–02 तत्समय प्रचलित नियमों, कानूनों, नीति निर्देशों एवं आदेशों का पालन करेगा, जो कि भारत सरकार और राज्य शासन, विपणन संघ द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 में जारी किये गये हों। पक्ष कमांक–02 द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो संपूर्ण जवाबदारी पक्ष कमांक–02 की रहेगी।

11.4 पक्ष कमांक–02 के द्वारा अनुबंध की किसी कण्डिका के उल्लंघन करने पर पक्ष कमांक–01 की ओर से जिला विपणन अधिकारी द्वारा पक्ष कमांक–02 के विरुद्ध कोई शास्ति या दण्ड आरोपित करने के आदेश की तिथि से तीस दिवस के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध जिला कलेक्टर को पक्ष कमांक–02 द्वारा अपील की जा सकेगी। जिला कलेक्टर द्वारा उक्त अपील में निर्णय अंतिम व उभयपक्ष के लिए बंधनकारी होगा।

11.5 इस संविदा की किसी भी कण्डिका से संबंधित विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवाद के निर्णय हेतु सचिव, छ0ग0शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का निर्णय अन्तिम होगा जो उभयपक्षों को मान्य होगा।

पक्ष कमांक–01	पक्ष कमांक–02
हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
नाम.....	नाम.....
पता.....	पता.....
.....	.....
सील	सील
साक्षीः–	साक्षीः–
हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
नाम.....	नाम.....
पता.....	पता.....
.....	.....
हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
नाम.....	नाम.....
पता.....	पता.....
.....	.....